

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937

No. 261]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SHRAVANA 5, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जुलाई, 2015

सं.बैवि.आईबीडी.सं.451/23.13.077/2015-16.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :-

“अंटवर्प डायमंड बैंक एन.व्ही.” शब्दों के स्थान पर “केबीसी बैंक एन.व्ही.” शब्द होंगे।

एन. एस. विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/15(145)]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th July, 2015

No. DBR.IBD.No. 451/23.13.077/2015-16.—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely:—

For the words “Antwerp Diamond Bank N.V.” the words “KBC Bank N.V.” shall be substituted.

N. S. VISHWANATHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./38/15(145)]